



You Can Only Have Whatever You Work For

When you say to yourself, 'As much as I want,' what they don't tell you is two things: One, it is not as much as I 'want,' but as much as I 'can do'

Yummy Tales Of Tummy

Grandly Christened the Plastic Odyssey: A Voyage to Clean the Seas

'ममता बनर्जी, बांग्लादेश व म्यांमार के घुसपैठियों को मदद कर रही हैं, भारत में प्रवेश के लिए'

संसद में फॉरैनर्स विधेयक पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए ममता बनर्जी, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही हैं

-अंजय रॉय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 मार्च। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वही दोहराया है, जो जगजाहिर है।

विदेशियों से संबंधित विधेयक पर अपने जवाब में उन्होंने शिकायत की है कि बंगाल सरकार ने बांग्लादेश से आये घुसपैठियों तथा म्यांमार से आये रोहिंग्याओं को पहचान पत्र प्रदान कर दिये हैं। पहचान पत्र के साथ अवैध रूप से आये ये लोग पूरे देश में फैलते जा रहे हैं। बंगाल सरकार का व्यवहार पूरे देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है तथा आम जनता की सुरक्षा के मामले में समझौता कर रहा है। शाह ने कहा कि यह विदेशी विधेयक (फॉरैनर्स बिल) लागू होने के बाद, देश में प्रवेश करने वाले विदेशियों की कई स्तरों पर मॉनिटरिंग का तंत्र उपलब्ध करायेगा। यह विधेयक सुरक्षा-संबंधी प्रयोजनों के लिए आवश्यक खुफिया तंत्र भी उपलब्ध करायेंगा।

अमित शाह ने वही बात कही है, जो हमेशा से ज्ञात रही है। बंगाल सरकार राज्य में अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए

■ शाह के अनुसार, ममता बनर्जी इन घुसपैठियों को अस्थायी रूप से रहने व छुपने के लिये स्थान देती हैं तथा फिर आइडेंटिटी कार्ड (आधार कार्ड) मुहैया कराकर देश भर में फैलने का मौका देती हैं।

■ "यह वोट बैंक बढ़ाने की रीति-नीति चौंतीस साल, वामपंथी सरकार ने भी चलाई थी तथा एक विपक्ष की नेता के रूप में ममता बनर्जी संसद में जमकर विरोध करने में सबसे आगे रहती थीं, पर, अब सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी स्वयं उस रीति-नीति का अनुसरण कर रही हैं।"

■ शाह ने इसी संदर्भ में संसद में यह भी कहा कि ममता बनर्जी की सरकार, सीमा पर फेंसिंग कराने में भी पूरी बाधाएं खड़ी करती हैं। पहले तो फेंसिंग के लिए भूमि नहीं दी जाती, अगर किसी तरह फेंसिंग का काम शुरू भी हो तो तुणमूल के बाहुबली, भारी विरोध करते हैं और फेंसिंग का काम रोकना पड़ता है।

बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के अवैध प्रवेश को प्रोत्साहित कर रही है। त्वरित लाभ के लिए यह जो किया जा रहा है, राष्ट्र-हित के साथ घृणित समझौता है। शाह ने कहा कि बंगाल सरकार ने

सीमा पर बाड़ के लिए जमीन आवंटित नहीं की है। जहाँ भी बाँडर फेंसिंग का काम चल रहा था, वहाँ तुणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने विरोध किया था और काम रूकवा दिया था। इसका नतीजा यह हुआ

कि आज भारत-बांग्लादेश सरहद पर कहीं से भी घुसपैठ संभव है।

लोग दण्ड भय मुक्त होकर बंगाल में आ रहे हैं तथा सीमा से लगे इस राज्य की जनसांख्यिकीय प्रकृति (डेमोग्राफिक नेचर) बदल रही है। इससे स्थानीय बंगालियों के हितों को नुकसान पहुँच रहा है, क्योंकि घुसपैठिये, राज्य सरकार तथा तुणमूल कांग्रेस के गुन्डों की मदद से, यहाँ रहने वाले बंगालियों की जमीन छीनकर अवैध रूप से आने वाले घुसपैठियों को बसाने में उनकी मदद कर रहे हैं।

अवैध घुसपैठियों से अपना वोट बैंक बनाने और बढ़ाने की यही रणनीति राज्य की कम्युनिस्ट सरकारों ने अपनायी थी। वामपंथी मोर्चे के 34 साल के शासनकाल में, कम्युनिस्टों ने अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दिया था।

विडम्बना देखिये, इन्हीं ममता बनर्जी, जब वे विपक्षी नेता थीं, ने अवैध घुसपैठियों को चुपचाप आने देने की वामपंथी मोर्चे की चाल का जोरदार विरोध किया था। उन्होंने उस समय बंगाल में हो रहे अवैध प्रवेश का संसद (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रीट पेपर लीक की जाँच सीबीआई को नहीं दी जाएगी

जयपुर, 27 मार्च। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित रीट-2021 परीक्षा के पेपर लीक मामले की जाँच सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में दायर याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जनहित याचिका सहित अन्य याचिकाओं को निस्तारित करते हुए ये आदेश दिए।

याचिकाओं में कहा गया था कि

■ राजस्थान हाई कोर्ट ने रीट पेपर लीक की जाँच सीबीआई से करवाने की मांग करने वाली एबीवीपी व अन्य की याचिका खारिज करते हुए यह आदेश दिया।

परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। एसओजी ने पेपर लीक की बात मानते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पेपर लीक में बड़े लोगों का हाथ होने की आशंका है। ऐसे में मामले की जाँच सीबीआई से कराई जाए जिसके जवाब में राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि उक्त परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा करवाई जा चुकी है, वहीं एसओजी ने भी मामले में जाँच की है। ऐसे में याचिकाओं को निस्तारित किया जाए (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पद्मेश मिश्रा की ए.ए.जी. पद पर नियुक्ति के विरुद्ध अपील दायर

हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह और न्यायाधीश प्रमिल कुमार माथुर ने इस मामले की अगली तारीख 4 अप्रैल तय की है

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 27 मार्च। राजस्थान हाई कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एडीशनल एडवोकेट जनरल (ए.ए.जी.), पद्मेश मिश्रा को नियुक्ति के खिलाफ अपील दायर की गई है। इस अपील में अधिवक्ता सुनील समदड़िया ने हाईकोर्ट के एकल पीठ द्वारा 4 फरवरी को दिए गए आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत अधिवक्ता पद्मेश मिश्रा को नियुक्ति को उचित ठहराया गया था। जैसा कि विदित है कि राज्य सरकार ने पद्मेश मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए नियुक्त किया था।

इस अपील की पहली सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव और न्यायाधीश भुवन गोयल के समक्ष 3 मार्च को हुई थी, परन्तु मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले को सुनवाई के लिए किसी अन्य खण्डपीठ को सौंप जाने के आदेश दिए थे और उन्होंने स्वयं इस मामले को सुनने के लिए असमर्थता बताई थी।

यह मामला न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह और न्यायाधीश प्रमिल कुमार माथुर की खण्डपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुआ था। अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता अधिवक्ता सुनील समदड़िया को आदेश दिए कि वे अपील की प्रति राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ

जैसा कि विदित है, इस मामले में याचिकाकर्ता सुनील समदड़िया का कहना है कि राज्य सरकार ने अपनी वादनीति 2018 में उचित और उपयुक्त संशोधन नहीं किए और नीति की अवहेलना करते हुए पद्मेश मिश्रा को ए.ए.जी. घोषित कर दिया।

■ नियुक्ति के लिए अधिवक्ता को कम से कम 10 साल का अनुभव होना अनिवार्य बताया गया है, जो पद्मेश मिश्रा के पास नहीं है।

अधिवक्ता और ए.ए.जी. भरत व्यास को सौंपे। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को तय की है।

जैसा कि विदित है, इस मामले में याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सरकार ने अपनी वादनीति 2018 में उचित और उपयुक्त संशोधन नहीं किए और नीति की अवहेलना करते हुए पद्मेश मिश्रा को ए.ए.जी. घोषित कर दिया।

याचिकाकर्ता का कहना है कि वादनीति 2011 में ए.ए.जी. घोषित करने के लिए न्यूनतम अनुभव के संबंध में कोई मापदंड निर्धारित नहीं था, केवल यह कहा गया था कि सरकारी वकील बनने के लिए 7 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है, परन्तु वर्ष 2018 की वादनीति के तहत, ए.ए.जी. की नियुक्ति के लिए अधिवक्ता के पास कम से कम

10 साल का अनुभव होना अनिवार्य है, जो पद्मेश मिश्रा के पास नहीं है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि पद्मेश मिश्रा के सुप्रीम कोर्ट में पैरवी लॉयर नियुक्त होने के तीन दिन के भीतर राजस्थान सरकार ने वादनीति में संशोधन किया (जो बिलकुल भी स्पष्ट और नीतिगत नहीं है) और फिर पद्मेश मिश्रा को संशोधित नियम के तहत ए.ए.जी. घोषित कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह संशोधन राज्य सरकार को किसी भी व्यक्ति विशेष को ए.ए.जी. घोषित करने का अधिकार देता है, परन्तु यह संशोधन नीति की अन्य धाराओं के विरुद्ध है, जिसमें ए.ए.जी. के नियुक्ति के लिए न्यूनतम अनुभव के मापदंड दिए गए हैं।

याचिकाकर्ता का कहना है कि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सबसे पहले लाइफ इंश्योरंस

आजीवन गारंटीड मासिक आय की योजना बनायें हमारे बढ़े हुए वार्षिकी दरों के साथ एक वर्ष की न्यूनतम स्थगितकरण अवधि के बाद वार्षिकी शुरू हो सकती है

जीवन शांति
UIN-512N338V07 • Plan No. 758
एक नॉन-पार, नॉन-लिंक्ड, व्यक्तिगत, बचत, आस्थगित वार्षिकी योजना

5 अधिकतम स्थगितकरण अवधि वार्षिकी योजना के लिए वर्ष

ऑनलाइन भी उपलब्ध

निश्चित वार्षिकी दरें पॉलिसी के प्रारंभ से

अनेक वार्षिकी विकल्प

बढ़ता हुआ मृत्यु लाभ आस्थगन अवधि के दौरान

हमारा बॉट्सपप नं. **8976862090**

कहिए 'Hi'

डाउनलोड करें एलआईसी मोबाइल ऐप

विजिट करें: **licindia.in**

कॉल सेंटर सर्विस (022) 6827 6827

अधिक जानकारी के लिए, अपने बीमा एजेंट/निकटतम एलआईसी शाखा से संपर्क करें/विजिट करें **www.licindia.in** या अपने शहर का नाम 56767474 पर एसएमएस करें

हमें यहाँ फॉलो करें: LIC India Forever | IRDAI Regn No.: 512

LIC भारतीय जीवन बीमा निगम LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

हर पल आपके साथ

धोखेझड़ी वाले फोन कॉल तथा झूठे/भ्रामक प्रस्तावों से सावधान रहें. आईआरडीएआई या इनके कर्मचारी बीमा व्यवसाय जैसे कि बीमा पॉलिसियों की बिक्री, बीमस की घोषणा या प्रीमियमस के निवेश, राशियां लौटाना जैसी कोई भी गतिविधियों में शामिल नहीं होते हैं. फिन पॉलिसीधारकों या संभावित ग्राहकों को ऐसे फोन कॉलस मिलें, वे कृपया पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करें. कृपया बिक्री के समापन से पहले बिक्री पुस्तिका को ध्यान से पढ़ लें.

9 से 5 की नौकरी को करें अलविदा, बने म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर।

अपने नए सफर की शुरुआत के लिए **Mutual Funds DISTRIBUTOR** करें शुरू?

www.mfdkareinshuru.com

म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें.